

212

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या : 6ए0/वि0-01-1019/2023-1676

पटना : 15, दिनांक : 12.08.24

विषय : पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन 58,003 ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70157 जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, मरम्मत एवं सम्पोषण हेतु मार्गदर्शक दिशा-निर्देश तथा रु. 1,08,372.00 (एक लाख आठ हजार तीन सौ बहतर रु.) प्रति जलापूर्ति योजना प्रति वर्ष के मानक दर से 5 वर्षों तक संचालन, मरम्मत एवं सम्पोषण हेतु कुल रु0 361145.33 लाख (तीन हजार छः सौ ग्यारह करोड़ पैंतालीस लाख तेतीस हजार रुपये) की योजना की स्वीकृति।

राज्य सरकार के अति महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना के तहत पंचायत राज विभाग अंतर्गत राज्य के गैर गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डों में "हर घर नल का जल" योजना का कार्यान्वयन कराया गया।

- 1.1 पंचायती राज विभाग के संकल्प ज्ञापांक 5464 दिनांक 16.05.2023 द्वारा पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं को सतत् संचालन एवं रख-रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया है।
- 1.2 पंचायती राज विभाग के द्वारा बिहार के 28 जिलों के कुल 58,003 ग्रामीण वार्डों में 70,157 जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण ग्राम पंचायतों की वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) के द्वारा कराया गया है और इसी समिति के माध्यम से दीर्घकालिक अनुश्रवण नीति के तहत जलापूर्ति कराया जाता था। पेयजलापूर्ति योजना के सतत् संचालन एवं रख-रखाव हेतु अनुश्रवण नीति एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राज्य के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, मरम्मत एवं सम्पोषण की एक प्रक्रिया बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।
- 1.3 अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग और प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संयुक्तादेश पत्रांक 943 दिनांक 05.06.2023 द्वारा पंचायती राज विभाग से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को जलापूर्ति योजना के हस्तांतरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा तकनीकी सहायक (पंचायती राज विभाग) व कनीय अभियंता (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) के संयुक्त निरीक्षण के उपरांत योजनाओं का स्थानांतरण "As is Where is" के आधार पर किया गया है।

1.4 पंचायती राज विभाग से प्राप्त पेयजलापूर्ति योजनाओं का संचालन, मरम्मत एवं संपोषण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किये जाने हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शक दिशा-निर्देश निरूपित करने का निर्णय लिया गया।

(क) पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डों में निर्मित सभी जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, मरम्मत एवं संपोषण का कार्य संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु विभागीय संकल्प संख्या-543, दिनांक 28.06.2021 द्वारा जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत एवं समय-समय पर संशोधित अनुरक्षण अनुदेश मानक होंगे, को दृष्टिपथ रखते हुए विस्तृत/अतिरिक्त अनुदेश निर्गत किया जाता है। (अनुलग्नक-‘क’) पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्व में संचालित पेयजल नियंत्रण कक्ष (Water Control Room) प्रणाली का भी उपयोग योजनाओं के संचालन के अनुश्रवण में किया जायेगा।

(ख) जलापूर्ति योजना के अनुरक्षक के रूप में हस्तांतरण के समय कार्यरत अनुरक्षक को यथासंभव बनाये रखा जायेगा। उसकी अनिच्छा अथवा असंतोषजनक कार्य-कलाप की स्थिति में ही किसी अन्य व्यक्ति को अनुरक्षक के रूप में रखा जायेगा। पंचायती राज विभाग के पत्रांक-3प0मु0 म0नि0यो0-19/04/2010 (पार्ट-2)-15, दिनांक-13.01.2023 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में यदि भूमि राज्यपाल के नाम से निबंधित कर दी गयी हो तो, भूमिदाता, रैयत अथवा उनके परिवार के सदस्य को पहली प्राथमिकता के आधार पर अनुरक्षक के रूप में चयन किया जा सकेगा।

अनुरक्षक का दायित्व एवं मुख्य कार्य :

पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित योजनाओं में चयनित अनुरक्षकों की व्यवस्था पूर्ववत् होगी एवं दायित्व यथावत् रहेंगे एवं पूर्व निर्धारित कार्यों का निम्न प्रकार निर्वाहन किया जायेगा :-

- (i) निर्धारित समय पर प्रतिदिन तीन पालियों में मोटर पम्प को चालू करना एवं बंद करना। लॉग बुक में प्रतिदिन मोटर पम्प चालू/बंद करने के समय की प्रविष्टि करना और वार्ड के दो महिला लाभुकों का हस्ताक्षर एवं मोबाईल नं० (जहाँ तक संभव हो, उनका घर अंतिम छोर पर अवस्थित हो) लेना। जलापूर्ति की अवधि माह अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 6:00 बजे से 9:00 बजे तक अन्य माह में प्रातः 5:00 बजे से *8:00 बजे तक तथा सभी माह में दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक एवं सायंकाल में 4:00 बजे से 6:00 बजे तक होगी।
- (ii) प्रत्येक उपभोक्ता परिवार से उपभोक्ता शुल्क के रूप में ₹0 30 (तीस रुपये) मात्र प्रतिमाह वसूलना एवं संकलित राशि को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में जमा करना।
- (iii) उपभोक्ता शुल्क संग्रहण पंजी का संधारण करना।
- (iv) जलापूर्ति योजना से संबंधित अवयवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। योजना के अवयवों के चोरी होने की स्थिति में थाना में प्राथमिकी दर्ज करना।
- (v) लॉगबुक, आगंतुक पंजी एवं शिकायत पंजी का संधारण करना।
- (vi) जलापूर्ति योजना के निरीक्षण के दौरान पाए गए त्रुटियों एवं प्राप्त शिकायतों से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, कार्य निरीक्षक/कनीय अभियंता एवं विभाग के अनुश्रवण कोषांग को अवगत कराना।

(*आदेश संख्या : 15/वि.2-1028/24-29 दिनांक 20.08.24 से संशोधित)

- (vii) अनवरत जलापूर्ति हेतु छोटे-छोटे कार्य सम्पन्न करना यथा पानी की टंकी की सफाई, पंप हाउस, बोरिंग का चैम्बर, योजना परिसर आदि की साफ-सफाई, योजना अंतर्गत Leakage होने की स्थिति में उस गली के Gate Valve को बंद करना इत्यादि।
- (viii) प्रति माह उपभोक्ताओं के साथ 'जल चौपाल' आयोजित करना, त्रैमासिक रूप से उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण करना एवं उपभोक्ताओं को पेयजल के समुचित उपयोग के लिये प्रेरित करना।
- (ix) जल नमूना संग्रह तथा फील्ड टेस्ट किट से जल नमूना की जांच पंचायत स्तरीय जल जांच केन्द्र में कराना एवं विहित पोर्टल पर प्रविष्टि कराना
- (ग) **मासिक उपभोक्ता प्रभार** की वसूली वार्ड सदस्य/अनुरक्षक द्वारा की जायेगी। वार्ड सदस्य/अनुरक्षक सभी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से मासिक उपभोक्ता प्रभार जमा कराये जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वसूली किये गये मासिक उपभोक्ता शुल्क की 50% राशि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) के बैंक खाता में जमा कराया जायेगा और वसूली की गयी राशि का शेष 50% वार्ड सदस्य/अनुरक्षक को प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान होगा। जलापूर्ति योजना के कार्यरत अनुरक्षक को मानदेय के रूप में पंचायती राज विभाग द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग के पंचायत हेतु प्रदत्त अनुदान से प्रति योजना प्रतिमाह ₹0 2000 की दर से भुगतान WIMC के माध्यम से किया जाएगा।
- (घ) **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** द्वारा जलापूर्ति योजना से आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता जाँच के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। योजना से जल नमूना एकत्र कर मानसून पूर्व और मानसून पश्चात् विभागीय जल जाँच प्रयोगशाला में जाँच कराई जायेगी और पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराये गये फील्ड टेस्ट किट से मासिक जल नमूनों की जांच कराई जायेगी। मानसून पूर्व और मानसून पश्चात् जलापूर्ति योजना के पी0वी0सी0 टंकी की सफाई के लिए विशेष अभियान चलायी जायेगी।
- पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डों में पूर्व से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित मिनी जलापूर्ति योजनाओं का अनुरक्षण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा इसी राशि के अधीन वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना के साथ किया जाएगा। इस हेतु अलग से कोई मानव संसाधन बल अनुमान्य नहीं होगा। संबंधित वार्ड के अनुरक्षक ही मिनी जलापूर्ति योजना के कार्य का संचालन करेंगे।
- (ङ) **वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना** का प्रति योजना विद्युत प्रभार प्रतिमाह औसतन ₹0 2500/- से विद्युत शुल्क का भुगतान पंचायत से सीधे किया जायेगा।
- (च) **जलापूर्ति योजनाओं में मरम्मत का कार्य** संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा Item Rate Contract के माध्यम से चयनित संवेदको से कराया जायेगा। संवेदक के द्वारा ससमय कार्य का सम्पादन नहीं किये जाने की स्थिति/एकरारनामा की अवधि समाप्त होने की स्थिति में जलापूर्ति की सतता बनाये रखने के लिए निम्न व्यवस्था की जायेगी:
- संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता जलापूर्ति की सतता बनाये रखने के लिए मरम्मत अनुश्रवण व्यवस्था लोक स्वास्थ्य विभाग की क्रियान्वित योजना हेतु निर्गत अनुदेश के तर्ज पर सुनिश्चित करेंगे। सामान्यतः अवर प्रमंडल/प्रशाखा स्तर पर मरम्मत अनुश्रवण की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए मरम्मत दल का गठन आउटसोर्सिंग के आधार पर कराया जायेगा।

- मरम्मति दल में मोटर साइकिल के साथ एक पम्पलबर और दो हेल्पर होंगे। कार्य आवश्यकतानुसार इस दल में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मेसन आदि कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। इसकी व्यवस्था पंचायती राज विभाग से प्राप्त होने वाली अनुदान/ गैर योजना मद से की जायेगी।
 - मरम्मति दल द्वारा सम्पादित कार्य में होने वाला व्यय तथा शत-प्रतिशत (100%) जुर्माना राशि के साथ राशि की वसूली संवेदक/एजेंसी से की जायेगी।
 - वैसे जलापूर्ति योजना जिसके निर्माण, संचालन, मरम्मति एवं संपोषण से संबंधित एकरारनामा समाप्त हो चुका है अथवा निकट भविष्य में समाप्त होने वाला है एवं नये संवेदक का चयन होने तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर कार्यपालक अभियंता पूर्व से सम्पन्न एकरारनामा में तीन-तीन माह की अवधि के लिए अधिकतम एक वर्ष तक सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर समयवृद्धि देते हुए योजना का संचालन, मरम्मति तथा संपोषण करा सकेंगे।
 - योजनाओं के चयनित संवेदक का एकरारनामा समाप्ति के पश्चात् सतत् जलापूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पूर्व से गठित आऊटसोर्सिंग मरम्मति दल के माध्यम से ही मरम्मति एवं संपोषण का कार्य कराया जाएगा।
 - वैसे जलापूर्ति योजना जिसके निर्माण, संचालन, मरम्मति एवं संपोषण से संबंधित एकरारनामा किसी कारण वश (संवेदक की आकस्मिक मृत्यु, संवेदक को काली सूची में डाले जाने आदि के कारण) रद्द कर दी जाती है, उस परिस्थिति में योजना का संचालन मरम्मति एवं संपोषण आऊटसोर्सिंग के आधार पर गठित मरम्मति दल के माध्यम से नये संवेदक के चयन होने तक अधिकतम 1 वर्ष तक कराया जा सकेगा।
 - आऊटसोर्सिंग एजेंसी का चयन बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (BSWSM) के द्वारा प्रमंडलवार किया जायेगा।
- (छ) ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना के संचालन, मरम्मति एवं अनुरक्षण के कार्य के लिए 3 HP के मोटर पम्प एवं औसतन 150 परिवारों को आच्छादन मानते हुए जलापूर्ति योजना के संचालन, मरम्मति एवं संपोषण का तकनीकी अनुमोदनोपरान्त वार्षिक व्यय का आंकलन निम्नवत किया गया है :—

तालिका-1

क्र.सं.	मद	मासिक व्यय	वार्षिक व्यय
1.	अनुरक्षक का मानदेय	रु. 2000	रु. 24,000
2.	लघु/वृहत मरम्मति, निवारण अनुरक्षण गतिविधियों एवं अन्यान्य	रु. 3635	रु. 43,620
3.	विद्युत प्रभार	रु. 2500	रु. 30,000
कुल		रु. 8135	रु. 97,620
विशेष मरम्मति हेतु अतिरिक्त राशि		रु. 813.5	रु. 9762
4.	IOI के अनुरक्षण हेतु (औसतन)	रु. 82.5	रु. 990
कुल		रु. 9031	रु. 1,08,372

- (ज) ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना में वृहत मरम्मति के अतिरिक्त विशेष मरम्मति यथा, नया बोरिंग का निर्माण, नये मोटर पम्प का अधिष्ठापन, टंकी अधिष्ठापन हेतु नये Staging (RCC/Steel) का निर्माण कार्य Staging(RCC/Steel) का रंग-रोगन का कार्य, अतिरिक्त पानी टंकी का अधिष्ठापन, नये गृह संयोजन की माँग आने पर अतिरिक्त पाईप लाईन एवं गृह जल संयोजन देने का कार्य, वृहत रूप से क्षतिग्रस्त जल वितरण प्रणाली का पुनःस्थापन कार्य, विद्युत ट्रांसफार्मर को बदलने, आदि की आवश्यकता होने के कारण विशेष मरम्मति हेतु कुल राशि का 10% अतिरिक्त राशि की समेकित गणना अनुमान्य की जायेगी।
- (झ) पंचायती राज विभाग की योजनाओं का अनुरक्षण चूँकि अब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाना है अतः पूर्व से अधिष्ठापित एवं संचालित I.O.T का अनुरक्षण कार्य का भी मोनिटरिंग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जायेगा। पूर्व से अधिष्ठापित एवं कार्यरत I.O.T अधिष्ठापन एवं अनुरक्षण का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा। हस्तांतरण के उपरान्त अकार्यरत I.O.T. का किसी प्रकार का भुगतान अनुमान्य नहीं किया जायेगा।
- योजनाओं में अधिष्ठापित I.O.T. के अनुरक्षण हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा एकरारित सभी एजेंसियों के द्वारा अधिष्ठापित एवं कार्यरत I.O.T. के एकरारनामा एवं अधिष्ठापित I.O.T. के अधिष्ठापन के पूर्ण भुगतान कर अनुरक्षण हेतु विस्तृत जानकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को हस्तांतरित किया जायेगा। तदनुसार I.O.T. के अनुरक्षण हेतु भुगतेय राशि हेतु तालिका-1 में I.O.T. के अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त राशि की गणना की गई है।
- (ज) जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय, अनुश्रवण एवं निधि हस्तांतरण हेतु उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल एवं कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल की एक जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति समय-समय पर WIMC द्वारा अनुरक्षक के भुगतान, विद्युत विपन्न के भुगतान एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा योजना में कराये गये अनुरक्षण एवं रख-रखाव की समीक्षा करेगी।
- (ट) आवश्यकतानुसार मार्गदर्शक दिशा-निर्देश के अन्तर्गत अनुदेश/दिशा-निर्देश में संशोधन हेतु विभागीय मंत्री सक्षम प्राधिकार होंगे।

2. भौतिक आकार

योजना का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण बिहार (पूर्णिमां प्रक्षेत्र एवं खगड़िया प्रमंडल को छोड़कर) होगा और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रण में क्रियान्वित किया जायेगा।

3. निधि की उपलब्धता

- पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना का नीति निर्धारण एवं निधि की व्यवस्था :-

- (i) पंचायती राज विभाग द्वारा 15वीं वित्त आयोग से पंचायत हेतु प्रदत्त अनुदान मद से अनुरक्षक का मानदेय प्रति योजना प्रति माह ₹0 2000/- की दर से वार्षिक ₹0 24000/- पंचायत के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका भुगतान WIMC के द्वारा कार्यरत अनुरक्षक को किया जायेगा। प्रतिमाह औसतन ₹0 2500/- प्रतिमाह से विद्युत शुल्क का भुगतान पंचायत के माध्यम सीधे किया जाएगा।

- (ii) इस योजना के क्रियान्वयन में होने वाला व्यय पंचायती राज विभाग द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को दी जानेवाली राशि के अनुरक्षण मद एवं आवश्यकतानुसार सामान्य निधि मद से प्रति जलापूर्ति योजना रू० 30,000/- (तीस हजार रुपये) वार्षिक के दर से सभी 70,157 जलापूर्ति योजनाओं के लिए राशि राज्य वित्त आयोग की अनुरक्षण राशि से सीधे बजटीय उपबंध के माध्यम से एक मुश्त लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (iii) प्रति योजना शेष (1,08,372-84000) = 24,372 रू० की अंतर राशि प्रति योजना प्रति वर्ष राज्य योजना मद से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
- षष्ठम राज्य वित्त आयोग (अनुरक्षण मद) से पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जानेवाली निधि का बजट शीर्ष-मुख्य शीर्ष-2215-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान के विषय शीर्ष 0009.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980009 होगी।
 - 15 वित्त आयोग से अनुरक्षक एवं विद्युत विपत्र हेतु हस्तांतरित की जानेवाली राशि का बजट शीर्ष-मुख्य शीर्ष 2215-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उप मुख्यशीर्ष 00-लघु शीर्ष 198-उपशीर्ष 0016 पंचायत राज संस्थाओं को सहायता (टाईड) जिसका विपत्र कोड 16-2515001980016 होगा।
 - राज्य योजना से दिये जाने वाले अन्तर राशि को बजट शीर्ष 2215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-जलापूर्ति-लघु शीर्ष-102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-उपशीर्ष-0107-ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव सात निश्चय 2 विपत्र कोड-36-2215011020107 विषय शीर्ष में भरितव्य होगा।
 - राज्य योजना मद हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट उपबंध का तीन गुणा से अधिक की योजना लागत होने के फलस्वरूप वित्त विभाग के संकल्प-3758, दिनांक-31.05.2017 की कंडिका-11 में निहित प्रावधान के आलोक में इस जनपयोगी योजना को विशेष परिस्थिति में उक्त अधिसीमा को शिथिल करते हुए दी जायेगी।

योजना की वर्षवार विवरणी राशि निम्नवत् है:-

पंचायती राज विभाग द्वारा 58,003 वार्डों में निर्मित योजनाओं की संख्या	मानक वार्षिक अनुरक्षण दर प्रति योजना (रूपये में)	योजनाओं का वार्षिक अनुरक्षण निधि की आवश्यकता (रू. लाख में)
70,157	1,08,372.00	76030.50
15वें वित्त आयोग से अनुरक्षण के मानदेय एवं विद्युत विपत्र हेतु WIMC को हस्तांतरित की जाने वाली राशि	54000.00	37884.80
षष्ठम राज्य वित्त आयोग (अनुरक्षण मद/सामान्य मद) से पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निधि संकल्प संख्या-5464 दिनांक 16.05.2023 के अंतर्गत	30,000.00	21047.10
राज्य योजना मद से	24372.00	17098.70

वर्षवार निधि की आवश्यकता	षष्ठम राज्य वित्त आयोग (अनुरक्षण मद) से पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निधि (रु. लाख में)	15 वे वित्त आयोग से अनुरक्षण एवं WIMC को हस्तांतरित की जाने वाली राशि	राज्य योजना मद से	कुल वार्षिक आवश्यकता (रु.लाख में)	अभ्युक्ति
2023-24 (09 माह हेतु)	15785.33	28413.60	12824.00	57022.93	
2024-25	21047.10	37884.80	17098.70	76030.60	
2025-26	21047.10	37884.80	17098.70	76030.60	
2026-27	21047.10	37884.80	17098.70	76030.60	
2027-28	21047.10	37884.80	17098.70	76030.60	
कुल	99973.73	179952.80	81218.80	361145.33	

अतः पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन 58,003 ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70157 जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, मरम्मत एवं सम्पोषण हेतु मार्गदर्शक दिशा-निर्देश तथा रु० 1,08,372.00 (एक लाख आठ हजार तीन सौ बहतर रु०) प्रति जलापूर्ति योजना प्रति वर्ष के मानक दर से 5 वर्षों तक संचालन, मरम्मत एवं सम्पोषण हेतु कुल रु० 361145.33 लाख (तीन हजार छः सौ ग्यारह करोड़ पैतालीस लाख तेतीस हजार रुपये) की योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- पंचायती राज विभाग एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- प्रस्ताव पर दिनांक-06.08.2024 की मंत्रिपरिषद में मद संख्या-19 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

ह० / -
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-6ए/वि०-01-1019/2023-1676

पटना, दिनांक : 12.08.24

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-6ए/वि0-01-1019/2023-1676

पटना, दिनांक : 12.08.24

219

प्रतिलिपि: सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(पंकज कुमार)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-6ए/वि0-01-1019/2023-1676

पटना, दिनांक : 12.08.24

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभाग के सभी पदाधिकारियों तथा सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(पंकज कुमार)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-6ए/वि0-01-1019/2023-1676

पटना, दिनांक : 12.08.24

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 100 (सौ) प्रतियाँ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

(पंकज कुमार)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-6ए/वि0-01-1019/2023-1676

पटना, दिनांक : 12.08.24

प्रतिलिपि: आई0टी0 प्रबंधक, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

ह0/-

(पंकज कुमार)

प्रधान सचिव